



पत्रांक: १५८ / FP/UK/ROAD/154869/2021. देहरादून दिनांक ०८/०४/२०२३

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय -जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी0 15 से उड़लगाँव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.261 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्वन्ध में।

सन्दर्भ-भारत सरकार के पत्रांक 8वीं/यू0सी0पी0/06/40/2023/एफ0सी0/85 दिनांक 28.04.2023।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार के द्वारा विपर्यायित प्रकरण में 02 बिन्दुओं पर सूचना है जिसकी जिसकी सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की गयी है।

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	The justification provided with the proposal that the village is not connected does not seem to be correct as there exists a road at an average distance of 200 to 300m from the households of the village. In this context, the State Government is requested to justify the proposal in accordance with the existing norms related to connecting the village in the hilly areas prevalent in the state.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त ग्राम की दूरी सड़क से सीधे खड़ी चौड़ाई में लगभग 200 से 300मी० आती है, परन्तु खड़ी चौड़ाई में ग्राम उडलगाँव को जोड़े जाने हेतु उचित मानकों के अनुसार ग्रेड प्राप्त न होने पर मोटर मार्ग का निर्माण नहीं किया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में वर्तमान में 5.95मी० की चौड़ाई में ही मोटर मार्ग का कटान किया जाता है।
2	Further, the western side of the village Udalgaon is tree less. State Government is requested to explore an alternative route from this side to prevent loss of tree.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा उडलगाँव के पश्चिम दिशा की ओर वृक्ष रहित भूमि निजी कारस्तकारों द्वारा भूमि देने से मना किये जाने एवं मार्ग निर्माण में उचित ग्रेड प्राप्त न होने के कारण मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित नहीं किया जा सकता।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में उप वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून

संख्या : १५८ / FP/UK/ ROAD /154869/2021 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर, बागेश्वर।

०/८

(आर०के० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून